


कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ-2(7)स्थाना./मुअजसं/ 852

दिनांक: 11/2/16

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-2(7)स्थाना./मुअजसं/36-37 दिनांक 28.1.2016 एवं आदेश क्रमांक एफ-2(7)स्थाना./मुअजसं/46-47 दिनांक 5.2.2016 द्वारा जारी किये गये आदेशों को राज्यहित में पढा जावें।

  
(विनोद शाह)

मुख्य अभियन्ता  
जल संसाधन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-2(7)स्थाना./मुअजसं/ 853

दिनांक: 11/2/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, जयपुर
3. शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
4. आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास, कोटा
5. मुख्य अभियंता, इगानप, बीकानेर/ज.सं. उत्तर, हनुमानगढ/ज.सं. सम्भाग, कोटा
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर
7. अधिशाषी अभियंता (आई.टी.) जल संसाधन, सिंचाई भवन, जेएलएन मार्ग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. अधीक्षण अभियंता, .....
9. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड .....
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, .....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कनिष्ठ अभियंता को तत्काल उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करावें।
11. श्री .....द्वारा .....को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना निर्धारित अवधि में किया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
12. रक्षा पत्रावली/निजी पत्रावली/अनुभाग द्वितीय



(अनिल अस्थाना)

अधीक्षण अभियंता (प्रशासन)  
वास्ते मुख्य अभियंता, जल संसाधन,  
राजस्थान, जयपुर